Notifications under AFSPA, 1958 in the State of Nagaland	
S.No	Notification No. & date
1.	SO.603(E) dated 17.09.1991
2.	S.O.828(E) dated 22.07.2003
3.	S.O.833(E) dated 21.07.2004
4.	S.O.1031(E) dated 20.07.2005
5.	S.O.1147(E) dated 20.07.2006
6.	S.O.1177(E) dated 19.07.2007
7.	S.O.1725(E) dated 19.07.2008
8.	S.O.1768(E) dated 19.07.2009
9.	S.O.1734(E) dated 19.07.2010
10.	S.O.2589(E) dated 19.10.2010
11.	S.O.1482(E) dated 30.06.2011
12.	S.O.1448(E) dated 29.06.2012
13.	S.O.1931(E) dated 30.06.2013
14.	S.O.1646(E) dated 30.06.2014
15.	S.O.1750(E) dated 30.06.2015
16.	S.O.2242(E) dated 30.06.2016
17.	S.O.4223(E) dated 30.12.2016
18.	S.O.2043(E) dated 30.06.2017
19.	S.O.4119(E) dated 30.12.2017
20.	S.O.3174(E) dated 30.06.2018
21.	S.O.6389(E) dated 30.12.2018
22.	S.O.2261(E) dated 30.06.2019
23.	S.O.4700(E) dated 30.12.2019
24.	S.O.2145(E) dated 30.06.2020
25.	S.O.4767(E) dated 30.12.2020
26.	S.O.2620(E) dated 30.06.2021
27.	S.O.5448(E) dated 30.12.2021
28.	S.O.1552(E) dated 01.04.2022
29.	S.O.4621(E) dated 30.09.2022
30.	S.O.1423(E) dated 24.03.2023
31.	S.O. 4231 (E) dated 26.09.2023

रोणस्दी सं. घी. (शी. एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



(1)

THTEITE Y NAMID NOARY 3

um II—cre 3—cr-cre (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

हो. 517] मर्ड विस्त्ती, अंगलकार, सितंत्वर 17, 1991/पात. 26, 1913.

No. 517! NEW DELFH, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 1991/BHADRA 26, 1913

इस भाग के भिन्म पृष्ठ संख्या की जाती है जिसके कि यह अलग संकलन के रूप के रसा जा करने

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रांलगं

" अधिमुचना

नई दिल्ली. 17 मिनम्बर, 1991

का. या. 603 (य): — यत केन्द्रीय मरकार की यह मत है कि नीचे अनुमूची में वर्णित क्षेत्रों में ऐसी अशांत और खूतरनाक स्थित हो गई है कि नागरिक प्रणासन की महायता के लिए सणस्त्र वलीं का इस्तमाल करना थावज्यक हो गया है;

श्रतः, अव. सशस्त वल (विशेष शक्तियां) अधिनियम. 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त संपूर्ण क्षेत्र को प्रशांत क्षेत्र घोषित करती है।

2400 G1/91

2 THE GAZEITE OF INDIA: EXTRACRDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

अनु सूची

- (i) ऋषणाचल प्रवेश, नागालण्ड फ्रीर भेषालय राज्यों को फ्रसम राज्य के साथ सगी सीमा की 20 कि.मी. चीड़ी पट्टी,
- (2) अल्पाचल प्रदेश के तिरप तथा चांगलांग जिले,
- (3) नागालीण्ड का मोन जिला।

[फा.सं. 11011/111/90-एन.ई.-4] जिनय भंकर, संयक्त सणिन

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1991

S.O. 603 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the areas described in the schedule herebelow are in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

Now, therefore, in enercise of the powers conferred by section 3 of the Armed Forces (Special Fowers) Act, 1958 (28 of 1958), the Central Government hereby declares the whole of the said areas to be a disturbed area.

SCHEDULE

- (i) A 20 Kilometme wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their borders with the State of Assam.
- (ii) Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh.
- (iii) Mon district of Nagaland.

[F. No. 11011|111|90-NE. IV] VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

षान II—सण्ड 3—उप-सण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 No. 644]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2003/आवाद 31, 1925 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2003/ASADHA 31, 1925

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

का.आ. 828(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि नागालैण्ड राज्य की सम्पूर्ण सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है:

अत: अब, सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का संख्यांक 7) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त राज्य को 22 जुलाई, 2003 से एक वर्ष के लिए अशान्त क्षेत्र घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-I] राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS MOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2003

S.Q. 828(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act, 1972 (No. 7 of 1972) the Central Government hereby declares the whole of the said State to be a disturbed area for a period of one year beyond 22nd July, 2003, for the purposes of that Act.

[F. No. 7/10/2003-N.E.I]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.





ohene Extraordinary

MT II—WW 3—E4—WW (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भाषिकार से भकावित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

चर्च दिल्ली, बुक्कर, बुलाई 21, 2004/लागाङ् 30, 1926

No. 642]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2004/ASADHA 30, 1926

गृङ्घ मंत्रास्त्रय

स्विस् चना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का. 833(का).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि नागालैण्ड राष्य की सम्पूर्ण सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में ऐसी अज्ञान्त या खतरनाक स्थिति है जिससे वहां नागरिक प्रज्ञासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है;

ञतः अब, सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का संख्यांक 7) की धारा 4 हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त राज्य को 21 जुलाई, 2004 से एक वर्ष के लिए अज्ञान्त क्षेत्र बोपित करती है।

> [फा. सं. 7/10/2003-एन.ई. I] राजीव अग्रवाल, संयुक्त संचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S.O. 833(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act, 1972 (No. 7 of 1972) the Central Government hereby declares the whole of the said State to be a disturbed area for a period of one year beyond 21st July, 2004 for the purposes of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.I] RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

2240 GI/2004

THE Gazette of India

STETETOT . EXTRAORDINARY

MT II—USE 3—34-US (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758] No. 758] न्हें दिल्ली, बुबबार, बुलाई 20, 2005/व्यापाइ 29, 1927

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2005/ASADHA 29, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2005

का. आ. 1031(व्य).—यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि नागालैण्ड राज्य की सम्पूर्ण सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक

अत:, अब, सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का संख्यांक 7) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त पूरे राज्य को 20 जुलाई, 2005 से एक वर्ष के लिए अशान्त क्षेत्र घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एनई.-I]

राजीव अग्रवाल, संयुवत सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2005

S.O. 1031(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act, 1972, (No. 7 of 1972) the Central Government hereby declares the whole of the said State to be a disturbed area for a period of one year beyond 20th July, 2005, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.-I]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

HREGazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765]

No. 7651

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2006/आवाढ़ 29, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2006/ASADHA 29, 1928

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2006

का.आ. 1147(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि नागालैंड राज्य की सम्पूर्ण सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक हैं।

अत:, अब, सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का संख्यांक 7) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त पूरे राज्य को 20 जुलाई, 2006 से एक वर्ष के लिए अशान्त क्षेत्र घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एनई. 1] राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2006

S.O. 1147(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act, 1972 (No. 7 of 1972) the Central Government hereby declares the whole of the said State to be a disturbed area for a period of one year beyond 20th July, 2006, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.I] RAJIVE AGARWAL, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882]

No. 882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2007/आषाढ़ 28, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2007/ASADHA 28, 1929

गृह मंत्रालय अधिस्चना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2007

का.आ. 1177(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि नागालैंड राज्य की सम्पूर्ण सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में ऐसी अशान्त या खतरनाव्ह स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

अत:, अव सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का संख्यांक 7) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त पूरे राज्य को 20 जुलाई, 2007 से एक वर्ष के लिए अशान्त क्षेत्र घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एनई 1]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2007

S.O. 1177(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act, 1972, (No. 7 of 1972) the Central Government hereby declares the whole of the said State to be a disturbed area for a period of one year beyond 20th July, 2007, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE. I]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1010] No. 1010]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 2008/आषाढ़ 28, 1930 NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 2008/ASADHA 28, 1930

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2008

का.आ. 1725(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि नागालैंड राज्य की सम्पूर्ण सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र में ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अब, सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का संख्यांक 7) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त पूरे राज्य को 20 जुलाई, 2008 से एक वर्ष के लिए अशान्त क्षेत्र घोषित करती है।

> [फा. सं. 7/10/2003-एनई-I] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2008

S.O. 1725(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act, 1972 (No. 7 of 1972) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year beyond 20th July, 2008, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

HRA STUSTUST The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राथिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1116] No. 1116]

नई दिल्ली, रविवार, जुलाई 19, 2009/आबाद 28, 1931 NEW DELHI, SUNDAY, JULY 19, 2009/ASADHA 28, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2009

का.आ. 1768(अ).—यत:, केन्द्रीय संस्कार का यह मत है कि नागालैंड राज्य की सम्पूर्ण सीमा के मीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त पूरे राज्य को 20 जुलाई, 2009 से एक वर्ष के लिए अशान्त क्षेत्र घोषित करती हैं।

[फा. सं. 7/10/2003-एन ई-ǐ] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2009

S.O. 1768(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year beyond 20th July, 2009, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Rist

15711

रजिस्ट्री सं० डी॰ एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

Here Gazette of India

EXTRAORDINARY

ast Plan

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1472] No.1472] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2010/आबाढ़ 28, 1932 NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2010/ASADHA 28, 1932

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2010

का.आ. 1734(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 20 जुलाई, 2010 से तीन महीने की अविध के लिए 'अशान्त क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन ई-I] नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS' NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2010

S.O. 1734(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of three months with effect from the 20th July, 2010, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I] NAVEEN VERMA, Jt. Secy.



EXTRAGRIDINARY

भग II—राण्ड 3—रव-राण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 No. 2181]

नई दिल्ली, मंगलवार, अवतूबर 19, 2010/आहिंखन 27, 1932 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 2010/ASVINA 27, 1932

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अस्तूबर, 2010

का.आ. 2589(अ),—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरमाक स्थिति में है जिससे वहाँ नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र घल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 20 अक्तूबर, 2010 से 30 जून, 2011 तक 'अशान्त क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन ई-I] सदा कांत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2010

- S.O. 2539(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.
- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' with effect from the 20th October, 2010 to 30th June, 2011, for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

2 (10 (4) 2 (10 (4)

SADA KANT, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

편. 1234] No. 1234] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2011/आषाढ़ 9, 1933

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2011/ASADHA 9, 1933

गृह पंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

क्या.आ. 1482(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2011 से एक वर्ष की अविध तक 'अशान्त क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई. I]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2011

S.O. 1482(E). Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year with effect from the 30th June, 2011 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

સં. 1214] No. 1214]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 2012/आबाढ़ 9, 1934

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 2012/ASADHA 9, 1934

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

का.आ. 1448(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2012 से एक वर्ष की अविध तक 'अशान्त क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई. I] शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2012

S.O. 1448(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year with effect from the 30th June, 2012 for the purpose of that Act.

[F. No.7/10/2003-NE-I] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.





EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14911 No. 14911

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2013/आबाढ़ 9, 1935 NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2013/ASADHA 9, 1935

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2013

का.आ. 1931(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ऐसी अशान्त या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बालों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत: अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का संख्यांक 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतदुद्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2013 से एक वर्ष की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन ई. 1]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2013

S.O. 1931(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the Civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958), the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year with effect from the 30th June, 2013 for the purpose of that Act.

> [F. No. 7/17/2003-NE-I] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.



EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1376]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2014/आबाढ़ 9, 1936

No. 1376]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2014/ASADHA 9, 1936

गृह मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

का.आ.1646(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2014 से एक वर्ष की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा.सं. ७/१०/२००३-एन.ई.-1] शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2014

- S.O. 1646 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the Civil power is necessary.
- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year with effect from the 30th June, 2014 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003- NE-I]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

2651 GI/2014





EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

13791 No. 13791

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/ आषाढ़ 9, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ ASADHA 9, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

का.आ. 1750(अ).-यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है!

अतः, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2015 से एक वर्ष की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

> [फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.- [] शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2015

S.O. 1750(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprised within the limits of the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the Civil power is necessary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of one year with effect from the 30th June, 2015 for the purpose of that Act.

> [F. No. 7/10/2003-NE-I] SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

2878 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1618| No. 1618| नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2016/आ ॥ इ 9, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2016/ASADHA 9, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

का.आ. 2242 (अ).-यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत या खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र वलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अव, सशस्त्र वल (विशेष शिक्तयां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2016 से छ: माह की अविध तक 'अशांन क्षेत्र' घोषित करनी है।

[फा. मं. 7/10/2003-एन.ई.- ।]

मत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2016

S.O.2242(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th June, 2016 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

3250GI/16

BIRTIAN USIVA Che Gazeite of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 3094] No. 3094]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पाँच 9, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

> गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

का.ंआ. 4223(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिसमे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र खलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अव, सशस्त्र वल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्दवारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 दिसम्बर, 2016 में छ: माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई...] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचित्र

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

S.O. 4223(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th December, 2016 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Nishok Digitally signed by Mishok Kumar Paria Paria 12:46:12 +05:30



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1821| No. 1821| नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आ 🕊 9, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 ज्न, 2017

का.आ. 2043(अ).— यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए नशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:. अब. मशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम. 1958 (1958 की चंड्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतह्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून. 2017 से छ: साह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

(फा. मं. 7/10/2003-एन.ई.-1)]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त मचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

- S.O. 2043(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.
- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act. 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th June. 2017 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

4014 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054

BIRETI

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3597।

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 2017/पौष 9, 1939

No. 35971

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 2017/PAUSA 9, 1939

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नर्ड दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4119 (अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र वल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की नंख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 दिसम्बर, 2017 से छ: माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती हैं।

> [फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-I] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December. 2017

S.O. 4119(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th December, 2017 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

7495 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK

Digitally signed by ALOK KUMAR

KUMAR Date: 2017.12.30 11:35:01 +05'30'

SANES



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2425]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 2018/आषाढ़ 9, 1940

No. 24251

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 2018/ASHADHA 9, 1940

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2018

का. आ.3174(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2018 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-]]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2018

S.O. 3174(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th June, 2018 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

3684 GI/2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.30 15:08:20 +05'30'



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5134] No. 5134] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 30, 2018/पौष 9, 1940

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 30, 2018/PAUSHA 9, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6389 (अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अव, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 दिसम्बर, 2018 से छ: माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-ा]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2018

S.O. 6389 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th December, 2018 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

7660 GI/2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK

KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.31 11:10:00 +05'30'





EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2019/आषाढ़ 9, 1941

No. 2044]

NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2019/ASHADHA 9, 1941

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2019

का.आ. 2261(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अत:, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जून, 2019 से छ: माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-I] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2019

S.O. 2261(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th June, 2019 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE-I]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

3262 GI/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.01 09:01:37 +05'30'



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 4199] No. 4199] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4700 (अ).—यत:, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अब, सशस्त्र वल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 दिसम्बर, 2019 से छः माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा.सं.7/10/2003-एन.ई.।]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 4700 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th December, 2019 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.I] SATYENDRA GARG, Jt. Secv.

6719 GI/2019



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220270 CG-DL-E-30062020-220270

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1900]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ़ 9, 1942

No.1900] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.आ. 2145(अ).—(अ).-यत:, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अव, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सम्पूर्ण राज्य को 30 जुन, 2020 से छः माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा.सं.7/10/2003-एन.ई.l] सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

S.O. 2145(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the said State to be a 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th June, 2020 for the purpose of that Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.I] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224003 CG-DL-E-30122020-224003

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4183]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 4183]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4767(अ).—यत:, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अव, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसम्बर, 2020 से छः माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.]] पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

- S.O. 4767(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.
- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the State of Nagaland to be 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th December, 2020 for the purpose of the said Act.

[F. No.7/10/2003-NE.I] PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

6417 GI/2020



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-227996 CG-DL-E-30062021-227996

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2429]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/ आषाढ़ 9, 1943

No. 2429]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

का.आ. 2620(अ).—यत:, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण नागालैंड राज्य को 30 जून, 2021 से छः माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.l] पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

- S.O. 2620(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.
- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No. 28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the State of Nagaland to be 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th June, 2021 for the purpose of the said Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.I] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232250 CG-DL-E-30122021-232250

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
· PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5042] No. 5042] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5448(अ).—यत:, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि सम्पूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

2. अतः, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसम्बर, 2021 से छः माह की अविध तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.I]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

- S.O. 5448(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the area comprising the whole of the State of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary.
- 2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (No.28 of 1958) the Central Government hereby declares that whole of the State of Nagaland to be 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30th December, 2021 for the purpose of the said Act.

[F. No. 7/10/2003-NE.I] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234753 CG-DL-E-01042022-234753

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1491] No. 1491] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ.1552 (अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.12.2021 की अधिसूचना का.आ.5448(अ) के तहत संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30.12.2021 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और यत: संपूर्ण नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब दिनांक 30.12.2021 की अधिसूचना का.आ.5448(अ) के अधिक्रमण में, नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुनहेबोटो जिलों और i) कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा-उत्तर, कोहिमा-दिक्षण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने; iii) मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने; iii) लांगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना; और iv) वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग, रालान और सुंगरो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं.7/10/2003-एन.ई.-I]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1552(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared whole of the state of Nagaland as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 30.12.2021 vide Notification S.O.5448(E) dated 30.12.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Nagaland has been undertaken.

Now, therefore, in supersession of the Notification S.O. 5448(E) dated 30.12.2021, Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek, Peren and Zunheboto districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of i) Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha police stations in Kohima District; ii) Mangkolemba, Mokokchung-I, Longtho, Tuli, Longchem and Anaki 'C' police stations in Mokokchung District; iii) Yanglok police station in Longleng District; and iv) Bhandari, Champang, Ralan and Sungro police stations in Wokha District, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.04.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No.7/10/2003-NE.I] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.





सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239232 CG-DL-E-30092022-239232

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44131

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4413]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4621(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2022 की अधिसूचना का.आ. 1552(अ) के तहत नागालैंड राज्य के 9 जिलों एवं अन्य 4 जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों को 01.04.2022 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और यत: संपूर्ण नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुनहेबोटो जिलों और i) कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा-उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने; ii) मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने; iii) लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना; और iv) वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग, रालान और सुंगरो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से छः माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-1]

पियष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4621(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared 9 districts and 16 Police Stations in 4 other districts of the State of Nagaland as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.04.2022 vide Notification S.O. 1552(E) dated 01.04.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Nagaland has been undertaken.

Now, therefore, Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek, Peren and Zunheboto districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of i) Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha police stations in Kohima District; ii) Mangkolemba, Mokokehung-I, Longtho, Tuli, Longehem and Anaki 'C' police stations in Mokokehung District; iii) Yanglok police station in Longleng District; and iv) Bhandari, Champang, Ralan and Sungro police stations in Wokha District, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No.7/10/2003-NE.I]

PIYUSII GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244657 CG-DL-E-24032023-244657

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370]

No. 13701

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

का.आ. 1423(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना का.आ.4621(अ) के तहत नागालैंड राज्य के 9 जिलों एवं 4 अन्य जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों को 01.10.2022 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और यत: नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और i) कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा-उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने; ii) मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने; iii) लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना; और iv) वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने; और (v) जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-I]

पियुष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2023

S.O. 1423(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared 9 districts and 16 Police Stations in 4 other districts of the state of Nagaland as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.10.2022 vide Notification S.O.4621(E) dated 30.09.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Nagaland has been undertaken.

Now, therefore, Dimapur, Niuland, Chumoukedima. Mon, Kiphire, Noklak, Phek and Peren districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of i) Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha police stations in Kohima District; ii) Mangkolemba. Mokokchung-I, Longtho, Tuli, Longchem and Anaki 'C' police stations in Mokokchung District; iii) Yanglok police station in Longleng District; iv) Bhandari, Champang and Ralan police stations in Wokha District; and v) Ghatashi, Pughoboto, Satakha, Suruhuto, Zunheboto and Aghunato police stations in Zunheboto District, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.04.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 7/10/2003-NE.I]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249008 CG-DL-E-26092023-249008

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4063]

No. 4063]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4231(अ).— यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24.03.2023 की अधिसूचना का.आ.1422(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगर्डिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V] पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

S.O. 4231(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1422(E) dated 24.03.2023.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V] PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.